

प्रारूप-11

वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुये विस्तृत आख्या

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (12.00 कि०मी०)।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 3984/111(2)/11-08 (सामान्य) /2011 दिनांक 14.12.2011 द्वारा 12.00 किमी० लम्बाई हेतु रू० 151.20 लाख की प्राप्त हुई है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग मसोन-काण्डी द्वारगढ मोटर मार्ग के ग्राम जयद्वार से प्रारम्भ होकर तियाडा-फलपट्टी होते हुये पर्यटक स्थल भद्रराज मन्दिर तियाडा तक होगा। उक्त मार्ग का समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वाँ वृत्त लो०नि०वि०, नई टिहरी के द्वारा स्वीकृत है। इस मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण श्री हर्ष कुमार वरिष्ठ भूवैज्ञानिक देहरादून द्वारा दिनांक 22.11.2017 को किया गया है। आख्या संलग्न है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग में पडने वाली वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी भद्रीगाड रेंज श्री आनन्द सिंह काण्डारी वन दरोगा, श्री बख्तौरु वन वीट अधिकारी भद्रीगाड रेंज, श्री धनीलाल राजस्व उप निरीक्षक नैनबाग, श्री अमर सिंह अपर सहायक अभियन्ता, श्री बचन सिंह मल्याल अमीन, लोक निर्माण विभाग थत्यूड द्वारा किया गया। आख्या संलग्न है।

प्रस्ताव का गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों पर किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु 9.121 है० वनभूमि की आवश्यकता होगी। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से सिविल सोयम भूमि 8.128 है० तथा आरक्षित वनभूमि 0.963 है० भूमि तथा नाप भूमि 1.678 है० पर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष विभिन्न व्यास वर्ग में पातन की आवश्यकता होगी। मार्ग के निर्माण से जयद्वार मल्ला, जयद्वार तल्ला ग्राम काण्डी ग्राम ठाल, ग्राम द्वारगढ, ग्राम कोटी, ग्राम मसोन, के समस्त गांव लाभान्वित होंगे। इन गांवों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे मार्ग के निर्माण से नगदी फसलों के परिवहन व्यय में कमी आयेगी तथा उपरोक्त गांवों को मुख्य बाजार नैनबाग से जोडा जायेगा।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक 9.121 है० वनभूमि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, थत्यूड के पक्ष में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 9.00 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित कर प्रेषित किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्यूड

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्यूड